

## प्रमुख बंदरगाहों के संरचनात्मक पुनर्गठन के लिये नया कानून तैयार

### चर्चा में क्यों?

जहाज़रानी मंत्रालय ने देश के बंदरगाहों के लिये एक शताब्दी पुराने बहुप्रयोजन वाले कानून को फरि से लखिने के लिये भारतीय बंदरगाह अधियक 2018 का मसौदा तैयार किया है। भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को फरि से लखिने का कदम इस बात का प्रतीक है कि केंद्र एक कानून के माध्यम से ट्रस्ट के रूप में चलने वाले 12 बंदरगाहों के संवैधानिक ढाँचे को परविरतति करने के लिये प्लान B तैयार करा रहा था।

### क्या है संशोधन?

- संसदीय स्थायी समति की सफिराशियों के आधार पर मंत्रमिंडल की सहमतिका अनुसरण करते हुए जहाज़रानी मंत्रालय ने प्रमुख बंदरगाह प्राधकिरण अधियक के कुछ खंडों में संशोधन किया है, यह उन 11 प्रमुख बंदरगाहों को प्राधकिरण बनाने की मांग करता है, जो कविरतमान में ट्रस्ट के रूप में संचालति हो रहे हैं।
- प्रमुख बंदरगाह प्राधकिरण अधियक में प्रमुख बंदरगाहों के नगिमीकरण या नजिीकरण के प्रावधान नहीं हैं।

### कर्मचारियों की नाराज़गी

- हालाँकि इन परविरतनों ने उन कर्मचारी संगठनों का शमन नहीं किया है जो मंत्रालय द्वारा प्रायोजति ढाँचागत सुधार के खलिफ आंदोलन कर रहे थे और इस संशोधन को 'कॉस्मेटिक तथा फरजी' कहते हुए अधियक को वापस लेने की मांग कर रहे थे।
- अन्य बातों के अलावा, इन कर्मचारी संगठनों को डर है कि सरकार 'बंदरगाह प्राधकिरण' को 'कंपनी' में बदलने के लिये नीतगित नरिदेश जारी करने हेतु अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती है तथा यह भी संभव है कि बाद में इन बंदरगाहों के नजिीकरण की ओर अग्रसर हो सकती है।

### समति की शर्तें

- कमेटी, जसिने इस अधियक का प्राारूपण किया है, के अनुमोदन की शर्तों में अपरचलति खंडों को नरिस्त करने और अपने प्रशासन में व्यावसायकिता लाने के लिये एक नई धारा को शामिल करने हेतु जनादेश शामिल था।
- समति ने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को फरि से लखिते समय लगभग 20 खंडों को समाप्त कर दिया जसिमें आलोचकों के अनुसार प्रमुख बंदरगाहों के राजस्व उत्पादन को क्षति पहुँचाने की क्षमता थी।
- अधकि गंभीर बात यह है कि भारतीय बंदरगाह अधियक, 2018 में एक नया खंड जोड़ा गया है जो सरकार को "वशिष मामलों में बंदरगाह के परविरतनों संबंधी पूरे या कसि भी हसिसे को मुक्त करने" के लिये शक्ति प्रदान करता है।
- इससे केवल जहाज़ उत्पादक संघों को लाभ होगा।

### वधियकों का वविदास्पद वलिय

- अपने मौजूदा रूप में भारत बंदरगाह अधिनियम का प्रयोग गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमलिनाडु, ओडशिा और केरल जैसे बंदरगाहों का नजिीकरण (केंद्र सरकार के नयितरण के बाहर) करने के लिये तटवर्ती राज्यों द्वारा किया गया है।
- सरकार के अंतर्गत ही एक वर्ग का मानना है कि श्रमकि संघों की चतिाओं पर ध्यान दयि बिना बंदरगाहों के नगिमीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये दोनों कानूनों का वलिय यह एक "आदर्श" सदिध होगा।
- प्रमुख बंदरगाहों के प्रबंधन को इस नए अधिनियम में एक अध्याय के रूप में परभाषति किया जा सकता है।
- लेकनि सरकार ने पहले प्रमुख बंदरगाह प्राधकिरण अधियक को स्थानांतरति कर दिया, जो अब संसद की संपत्ति है।

### नषिकरष

भारतीय बंदरगाह अधियक वर्तमान में वभिनिन हतिधारकों के साथ परामरश प्रक्रया से गुज़र रहा है। एक बार इसकी पुष्टि हो जाने के बाद यह एक नीतनिरिणय बन जाएगा।

